



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि.मी. सिरसा रोड़, हिसार

ई-निविदा आमंत्रण सुचना

केन्द्रीय राज्य फार्म हिसार के 44.0 है० क्षेत्र में स्थित बाग के बिभिन्न प्रकार के फलों जैसे अमरूद, बेर, किन्नो आदि को वित्तीय वर्ष 2019-20 (31.03.2020 तक के लिये) फल तोड़कर ले जाने का अधिकार लेने की इच्छुक पार्टियों से दिनांक 26.04.2019 को दोपहर बाद 1.0 बजे तक दो निविदा प्रणाली के अंतर्गत ई-टैंडरिंग द्वारा आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बाग फलों के ठेके की निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी व दस्तावेज निगम के ई-पोर्टल-<https://indiaseeds.eproc.in> एवं वेबसाइट www.indiaseeds.com से डाउनलोड/अपलोड की जा सकती हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड बिना कोई कारण बतायें किसी/सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)
मो० नं०-9468440214

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm
10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

File No. CSF/HSR/Horti /11-5/2019

Date:

NOTICE INVITING E-TENDER

E-tenders under Two Bid System are invited for awarding fruit contract of Central State Farm, Hisar situated at 10 km Sirsa Road, Hisar for plucking and sale of fruits situated in an area of 44.0 hactere for a period of one year starting from 27.04.2019 to 31.03.2020. Details of eligibility criteria, tender schedule and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from <https://indiaseeds.eproc.in> & www.indiaseeds.com

Particulars	Details
Date of issue of NIT	12.04.2019
Tender Document Download Start Date/time	From 12.04.2019 – 10:00 AM onwards
Tender Document Download End Date/time	To - 26.04.2019 – upto 1.0 PM
Date and time for submission of online bid	From 12.04.2019 – 10:00 AM onwards To - 26.04.2019 – upto 1.00 PM
Date and time of opening of Technical Bid & Financial Bids in Online mode at C.S.F, Hisar.	Technical Bids Opening : At 1.30 PM on 26.04.2019 Financial Bids Opening: Later on after evaluation of Technical Bids.
Tender Fee to be deposited online	Rs.1000(One Thousand Only) +18 % GST
EMD	EMD : Rs.1,00,000/-(Rs One lac Only) to be deposited online by RTGS/NEFT
Security Deposit (To be deposited by successful bidder after issue of acceptance letter/Work order by means of Demand Draft or Bank Guarantee)	Security Deposit : 8% of fruit value Note: Security money and E.M.D of Rs 1.0 lac will be reatnered after completion of auction period and successful bidder will have to deposit 25 % of fruit value and 8 % security money of fruit value within two days and balance amount of fruit value as per terms and condition. Demand Draft or Bank Guarantee drawn in favour of National Seeds Corporation Ltd, Hisar.
Address for Communication	Dy.G.M (Farm.), Central State Farm, 10 Km Sirsa Road, Hisar-125001 (Haryana) M-9971202012
Contact Person (with Phone No & E-Mail)	Shri Jogendra Singh, Assistant manager (Production), Central State Farm, 10 Km. Sirasa Road ,Hisar-125001 (Haryana) Mob : 9468440214 , 7007464745 email : csf.hisar@indiaseeds.com

This Tender Document contains Two Parts

Technical Bid : Terms and Conditions of fruit contract giving details of EMD details, Eligibility criterias for participating in the tenders, Details of documents to be submitted by the tenderer, nature of work to be performed by the fruit contractor.

Financial Bid : Financial bid document

NSC reserves the right to make any alteration/modification in the Tender Document or scrap the tender at any stage without assigning any reason.

DGM (Farm)

Section 1

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

_ C1 India Private Limited: Service provider to provide the e-Tendering Software.

_ NSCL e-Procurement Portal: An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited (“NSCL”) introduced for the process of e-tendering which can be accessed on <https://indiaseeds.eproc.in>.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency (Bidders can see the list of licensed CA’s from the link www.cca.gov.in) to participate in e-tendering of NSCL.

C1 India Pvt. Ltd. Facilitates procurement of Class-III DSC’s. DSC Procurement request may be sent to jatin.kalra@c1india.com for more details during NSCL working days.

To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes Online mode. Validity of Registration is 1 year.

After making the payment through online mode (i.e. Net banking, Debit card, Credit Card), Vendors have to send an e-mail intimation to Helpdesk for their profile activation. The account will be activated within 24 working hours.

All profile activations will be done only during NSCL working days. No profile activation will take place during NSCL Holidays & gazetted holidays.

The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>).

To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from <https://indiaseeds.eproc.in>.

To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through Online mode (internet banking/debit card/credit card).

Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>). The bidders who are MSE and registered with NSIC are exempted from paying EMD and tender document cost, for which they have to submit the documentary proof.

For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support.

II. PREPARATION & SUBMISSION OF APPLICATIONS:

Detailed NIT may be downloaded from NSCL e-tendering portal and the Application may be submitted compulsorily online mode following the instructions appearing on the screen / NIT.

Vender can pay tender document Fee as per tender document online through Internet Banking / Debit Card/ Credit Card.

A Vendor manual containing the detailed guidelines for e-tendering system is also available on the portal.

III. MODIFICATION / SUBSTITUTION/ WITHDRAWAL OF BIDS:

The Bidder may modify, substitute or withdraw its e-bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified, substituted or withdrawn by the Bidder on or after the Bid Due Date.

Any alteration/ modification in the Bid or additional information supplied subsequent to the Bid Due Date, unless the same has been expressly sought for by the NSCL, shall be disregarded.

For modification of e-bid, bidder has to detach its old bid from e-tendering portal and upload / resubmit digitally signed modified bid.

For withdrawal of bid, bidder has to click on withdrawal icon at e-tendering portal and can withdraw its e-bid.

IV. OPENING AND EVALUATION OF APPLICATIONS:

Opening of Applications will be done through online process. However, Corporation reserves the right for evaluation and decision based on tender submitted online.

NSCL shall open documents of the Application received in electronic form of the tender on the Application due date i.e. in the presence of the Applicants who choose to attend. NSCL will subsequently examine and evaluate the Applications in accordance with the provisions set out in the Tender Document.

The price bid will be opened of the responsive applicants after evaluation of the technical bids by the farm committee.

IV. DISCLAIMER :

The vender must read all the instruction in the RFP and submit the same accordingly



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरात्न कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913



केंद्रीयराज्यफार्म,हिसार/Central State Farm

10, किलो मीटर सिरसा रोड , हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

बीज भवन ,पूसा काम्प्लेक्स, न्यू देलही-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

संख्या के. रा. फ़ा./11-5 (निलामी)/उद्यान /2019

दिनांक

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार में वर्ष 2019 -20 में फलों की बिक्री हेतु नियमव शर्तें ।

- 1 ठेकेदार को टेंडर में भाग लेने हेतु अपनी पहचान के साक्ष्य के तौर पर कम से कम एक पहचान /सबूत जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, खेत का खसरा-खतौनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके । यदि निविदादाता/ठेकेदारकोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात सांझेदारों से संबंधित हो । यदि निविदादाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी काहै तो उसे कम्पनी कापार्षद सीमा नियम/अर्न्तनियम, पंजीकरण प्रमाण पत्र व निदेशक मंडल के सदस्यगण की सूची उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा ।
2. प्रत्येक निविदादाताको बोली/टेंडर में सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चितकी गई धरोहरराशिरु० 100000/-(**एक लाख रुपये**) मात्र डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में **जोराष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** के नाम देय हिसार हो। इसके बिना निविदा/टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो कि असफल बोलीदाता को टेंडर समाप्त होने पर बिना ब्याज के चेक द्वारालौटा दी जायेगी ।
3. सफल निविदादाता को फार्म द्वारा बाग के फलों की स्वीकृती होने के पश्चात 48 घण्टे के अन्दर स्वीकृत राशिका **8 % प्रतिभूति राशि (security money)** तथा स्वीकृत राशि का 25 % डिमाण्ड ड्राफ्ट /आर . टी . जी . एस . द्वारा जो **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** देय हिसार हो, फार्म के खाते में जमा करानी होगी । तथा इसके साथ स्वीकृत राशि की बैंक गारंटी व संपत्ति की कागजात देना भी अनिवार्य है ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा जमा कराई गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
- 4 यह प्रतिभूति राशिव धरोहर राशिठेके के सन्तोषजनक पूरा होने पर फार्म द्वारा ठेकेदार को वापिस कर दी जाएगी। इस राशिपर कोई ब्याज फार्म द्वारा नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतिभूति राशिव धरोहर राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा फार्म में जमा होने वाली राशिमें समायोजित नहीं की जाएगी।
- 5 अगर सफल निविदादाता फार्म में प्रतिभूति राशि48 घण्टे में डिमाण्ड ड्राफ्ट/आर . टी . जी . एस . द्वारा जमा नहीं कराता हैं तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवाई गई धरोहर राशिरु० 1,00,000/-(**एक लाख रुपये**) मात्र फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगीव बाग का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
6. उप महा प्रबंधक(फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये टेंडर /निविदा को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर सकतेहैं।
7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न भिन्न होगी जिसको फलों की नीलामी के समय फलों की प्रकृति एवं स्वभाव अनुसार अवगत कराया जाएगा । ज्यों ही फलों के चुनाव का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा । ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशिका भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रकर ली जाये । फलों की तुड़ाई में अनावश्यकदेशी की अनुमति फार्म प्रशाशनद्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी । खरीददार को नीबू प्रजाति के फलों को 28**फरवरी,2020**,अमरुद 31 मार्च 2020तक, बेर फलों 30अप्रैल2020 तथा बेल 31 मई**2020**तक व अन्य फलों को (वर्ष 2019 -20) 31 मार्च 2020 तक तोड़ने का अधिकार होगा ।

8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे ।
9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया गया तो ठेकेदार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी व उप-महाप्रबंधक (फार्म) को देगा ।
10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार का होगा । किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा । अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों/सुखा/वर्षा/ओला/पाला आदि प्राकृतिक/अप्राकृतिक से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा । बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
11. यदि फल ठेकेदार फलों का एकत्रीकरण व चुगाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह अनुबन्ध के समय एक अधिकार पत्र व प्रार्थना पत्र उप-महाप्रबंधक (फार्म) को देगा केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को स्वीकृति के लिए अनुबन्ध पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा जिसकी सूचना बाग के प्रभारी व सुरक्षा अधिकारी को भी देगा । फल तोड़ने के लिए खरीददार व उसके द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेंगे वो भी , अनुबन्ध के समय फार्म के बाग के प्रभारी व सम्बन्धित अधिकारी तथा उप-महाप्रबंधक (फार्म) को देना होगा। फार्म उपमहा-प्रबंधक द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा, पैकिंग, ढुलाई आदि ठेके से संबंधित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो फल ठेकेदार/खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुछ फलकी अधिकतम मात्रा 10 क्विंटल व फालसा फल 50 किलो ग्राम हिसार फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी । फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलो को कोई नुकसान होता है तो उसका हर्जाना नहीं दिया जाएगा ।
13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए फल ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा । किसी भी प्रकार की हानि की कीमत उपमहा-प्रबंधक (फार्म) द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान फल ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा । इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा । झगड़ा या मतभेद के मामले उप महा-प्रबंधक, (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार, का निर्णय अन्तिम होगा
14. नीलामी के उपरान्त फल ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, ढुलाई आदि समस्त फल वितरण कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चुँगी, नगरपालिका सेस आदि यदि हो तो फल ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा ।
15. फल ठेकेदार/ खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर उप-महाप्रबंधक (फार्म) केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार को जमा की गई प्रतिभूति राशिव धरोहर धनराशिव अन्य चुकाई गई किश्त व राशिको जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा । खरीददार बिना उप-महाप्रबंधक (फार्म) महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तांतरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति को नहीं करेगा ।
16. इस सौदे के लिए रु० 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा । स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा । यह अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा
17. खरीददार फार्म एरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा । यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबंध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खंजाची के पास जमा करानी होगी ।
18. नीलामी के पश्चात अगर बोलीदाता फार्म द्वारा दी गई निश्चित तिथियों पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फार्म प्रशाशन द्वारा फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा । बकाया रकम व ब्याज जमा न करवाने पर, फार्म द्वारा ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बाकी बचे फलों को बिना नीलामी के बेच सकता है । जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा । ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि व धरोहर धनराशिव अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी ।

यदि पुनः ठेके की प्रक्रिया में या फार्म द्वारा स्वयं बेचने पर कोई हानि फार्म को होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है

19. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी । उस हालत में प्रतिभूति राशिव धरोहर राशि और उस समय तक जमा की गई किश्तकी राशि जो भी फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी । यदि दोबारा नीलामी में ठेका राशि से कम धन राशि आती है तो वह राशि ठेकेदार से वसूली जाएगी ।
20. साधारणतया फलों को बगीचे से बाहर ले जाने की अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी । किसी भी भार वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म के प्रतिनिधि से करवा कर व गेट पास लेना आवश्यक होगा ।
21. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो उन्हे संस्था या कम्पनी का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
22. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा / अभद्रता नहीं करेगा । सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा । ऐसा नहीं करने पर ठेकेदार को 5 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है ।
23. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी अस्त्र शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश नहीं करेगा व बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने का कृत्य नहीं करेगा ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाई की जायेगी ।
24. **खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्त :-**
 1. ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 25 % बोली मंजूर होने के तुरंत बाद जमा करना होगा । यदि कोई ठेकेदार पूरी राशितुर्न्त जमा नहीं कर पाता है तो बकाया राशि 18 % वार्षिक ब्याज के साथ दो दिन के अन्दर जमा करवानी होगी । निर्धारित समस्त धन राशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबंध कर, कार्य आदेश जारी किया जायेगा । अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है ।
 2. **नीलामी धनराशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ** : यदि विभिन्न फसलों की नीलामी एक साथ की जाती है तो 75 प्रतिशत बकाया धन किस्तों में देना होगा जो कि निम्न प्रकार निश्चित होगा ।
 - क- **20 प्रतिशत धनराशि 18 जून 2019** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 20 जून 2019 से पहले आम फल तोड़ता है तो 20 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा
 - ख- **25 प्रतिशत धनराशि 25 अगस्त 2019** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 25 अगस्त 2019 से पहले अनार और बरसाती अमरुद फल तोड़ता है तो 25 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा ।
 - ग- **25 प्रतिशत धनराशि 25 अक्टूबर 2019** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 25 अक्टूबर 2019 से पहले मौसमी माल्टा फल तोड़ता है तो 25 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा ।
 - घ- **5 प्रतिशत धनराशि 20 नवम्बर 2019** तक जमा करवानी होगी । यदि ठेकेदार 20 नवम्बर 2019 से पहले सर्दी के अमरुद के फल तोड़ता है तो 5 प्रतिशत धनराशि पहले जमा करवानी होगी उसके बाद ही फल तोड़ने दिया जायेगा ।
25. किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म, फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया गया है । अन्तिम किस्त 20 नवम्बर 2019 तक ठेकेदार द्वारा फार्म पर जमा करवानी होगी ।
26. अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फार्म द्वारा फल तोड़ने से रोक कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी साथ ही देरी से धनराशि जमा करने पर 18 % ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा । तत्पश्चात भी अगर बकाया किश्त जमा नहीं की जाती तो ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा । बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी ।
27. ठेकेदार को अपनी किश्तें समय पर या पूरी धनराशि जो अनुबन्ध में होगी एकमुश्त ही जमा करवानी होगी । किश्तें टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जाएगी । अगर कोई किश्त समय पर जमा नहीं होती है तथा दूसरी किश्त का समय आ

- जाता है तो पिछली किशतजमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई धरोहर धनराशिव प्रतिभूति धनराशि व उस समय तक जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी व ठेका समाप्त कर दोबारा नीलामी कर दी जायेगी। यदि दोबारा नीलामी में ठेका राशि से कम धनराशि आती है तो वह धनराशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
28. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर/उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार उसका भुगतान करेगा।
29. ठेका संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने तथा कोई देयता बाकी नहीं रहने पर ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर राशि रुपया-100000/=(एक लाख) व प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी।
30. ठेकेदार द्वारा लगाए गये व्यक्ति फार्म एरिया में जंगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और न ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
31. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर पौध संरक्षण प्रयास फार्म द्वारा किए जायेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान प्रभारी द्वारा किए गए उपायों व प्रयाशों के उपरांत भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों की कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई भी आर्थिक छूट या राहत नहीं दी जाएगी।
32. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। इन मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
33. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा का छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना कोई निर्माण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राशि का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
34. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
35. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जायेगा इसके बावजूद भी विवाद रहने पर निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, उनकी अनुमति से एकल विवेचक सोल आर्बिट्रेटर के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिट्रेशन एंड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराया जायेगा जो कि पक्षकारान पर बाध्यकारी होगा। न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान कराना जरूरी होगा। न्यायिक क्षेत्र हिसार होगा।
36. देशी पौध पर लगे फल जैसे आमला, जट्टी- खट्टी आदि फल फार्म के होंगे।
37. फार्म के लिये विभिन्न प्रकार के 10.00 कुंटल जैसे आम, अमरूद, बेर, किन्नी आदि फल तथा 50 किलोग्राम फालसा फल आरक्षित रखे जायेगे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी।
38. आर्बिट्रेशन एंड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित हिसार होगा।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते उपमहाप्रबंधक (फार्म)

उपरोक्त ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आवंटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

फोन नं०.....

ई-मेल आई.डी.....

बैंक खाते का विवरण

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Government of India Undertaking)

COMMERCIAL BID

The Dy.General Manager (Farm)
Central State Farm,
10 K.M. Sirsa Road,
HISAR.

Sub: Your open e-tender notice dated ----- for award of Fruit Contract of the farm for the period from 27 th April ,2019 to 31st March ,2020).

Sir,

I/We have carefully gone through all the essential terms & conditions of tender relating to awarding of Fruit contract of Central State Farm, Hisar for plucking and sale of fruits from farm orchards situated in an area of 44.00 Ha. for the period from 27th April ,2019 to 31st March ,2020 . I declare that I have carefully read the terms & conditions of fruit contract and that I will comply with all the terms and conditions of the contract and offer my/our highest rates for the fruit contract rate are as under:

S.No.	Name of fruits and approximate area in Ha,	Rates for total area (44.00 Ha.)
	Guava--L-49, A.Safeda,etc-----11.20	
	Ber –Umaran ,Gola etc-----14.00	
	Aonla-chakaiya,Banarasi -----0.80	
	Citrus-kinnow k.lemon etc----8.80	
	Bael-CISH-1 and others-----4.00	
	Anar,Mango ,Phalsa etc-----5.20	
	TOTAL -----44.00	

I/we agree with all the terms and conditions of fruit contract at Central State Farm Hisar (Haryana) as laid down by National Seeds Corporation Ltd.

Date :
Place :

Name & Signature and seal of Authorised
Signatories with official stamp

TECHNICAL BID

To
Dy.General Manager (F),
Central State Farm,
10 KM Sirsa Rod, Hisar

FROM.....

.....
TENDER FORM FOR

Profiles of our company/firm are as under:

1. Particulars of the company/firm/Party :-

Name of the firm/company/Party with complete address, contact no. & E-mail address	Type of Firm i.e. proprietorship/partnership/ Pvt. Ltd.company/ society/ Ltd. etc. with its Registration No.	Names & contact no. of Proprietor's/Partners /Directors etc.	Other information if any

Attach the necessary valid document in support of claim.

2 Details of the Past Fruit Contract work Experience :-

S.No.	Reference of fruit contract work undertaken from Govt./Semi Govt./ Autonomous Body, PSU, Organisations	From	To	Details of Contract

3 Registration::

PAN No.	Aadhar No.	Voter ID NO

4 EMD

Banker's Name	Draft no./UTR	Amount (in Rs.)

5 Authorization of competent authority to sign this Tender Document (Encl. copy)

6 A self Declaration Certificate that participant is not blacklisted by any office of the NSCL or any other Government Organization. (Enclose Copy).

I hereby certify that all the information mentioned above are true and in case any information is found to be incorrect, my bid may be treated as rejected by NSC management.

Thanking you,

Signature: -----

Place: -----

Name of Authorized Signatory: -----

Date: -----

Address:-----

Phone No: - -----

Mobile No. -----

DECLARATION OF NON-BLACKLISTING

I/We.....Proprietor/Partner/Authorized
signatoryofM/S..... do
hereby solemnly confirm and declare as under:

1. My above mention firm is not been Blacklisted/ Delisted/ Prosecuted by any Central/ State/ U.T. Government Organizations/ Departments/Autonomous body / Research institutions/ Corporations from participation in tenders/ contracts.
2. That there is no criminal case pending against me in the Court of law.
3. I/We understand that if during any stage of fruit Contract awarded to me by Central State Farm, Hisar, it comes to knowledge that any information/documents related to fruit contract submitted by me are false then CSF, Hisar may take disciplinary action against me as per terms and conditions of the fruit Contact.

Verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

Signature: -----

Place: -----

Name of Authorized Signatory: -----

Date: -----

Address:-----

Phone No: - -----

Mobile No. -----

**Check list of documents required to fulfill the eligibility criterias of
Technical bid of fruit contract**

Sl.N o	Document	Details and validity period	Remarks
1	Pan No		
2	Aadhar card No.		
3	Voter ID No.		
4	Work Experience certificate relating to satisfactory completion of fruit contract of Govt/Semi Govt/Autonomous Body/PSU/ others		
5	E.M.D of Rs 1,00,000/- Transactions details of RTGS/NEFT of online deposit of EMD by tenderer.		
6	Terms & Conditions of fruit contract duly signed Note : Each page of T & C should be signed by tenderer		
7	Undertaking regarding compliance of all the provisions of contract labour laws and non blacklisting of his firm		

Signature with Stamp :

Name :

Address :

Mobile and E Mail ID :